Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need for the government to give compensation to the villagers of Bhadora, Rudra and Majhigava for land acquisition.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा विस्थापित कुसमी के अंतर्गत भदौरा, रूदा और मझिगवां के ग्रामीणजनों की परेशानी आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 21 फरवरी, 2008 को तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा विस्थापन का आदेश जारी हुआ और 13 अप्रैल, 2017 को इनके विस्थापन की घोषणा हो गई, परंतु आज तक इनका विस्थापन नहीं हो सका। इनके लिए मुआवज़े की जो राशि घोषित की गई थी, वह प्रति यूनिट तत्कालीन नियमों के आधार पर थी।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम गांवों के बारे में बात कहें तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की संवेदनाएं गांवों से जुड़ी हुई होती हैं। गांव ऐसे ही नहीं बनते हैं, बल्कि कई पीढ़ियों का उनका श्रम लगता है, धीरे-धीरे पसीने से कमाए हुए पैसों का अंशदान होता है, उससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, उनका मिट्टी से जुड़ाव होता है, तब जाकर गांव बनता है। ऐसे गांवों को छोड़ने की मज़बूरी लोगों को तोड़ कर रख देती है, खासकर ग्रामीणजनों को।

उपाध्यक्ष महोदय, उनको जो मुआवज़े की राशि दी जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है। आज मेरा विषय यही है कि विस्थापन की परेशानी के साथ इनकी एक अन्य सबसे बड़ी परेशानी यह है कि केन्द्र सरकार की तीन महत्वपूर्ण योजनाएँ - जो उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये तीनों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो आज गरीबों के जीवन-स्तर को ऊपर की ओर लेकर जा रही हैं। इन तीनों योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि देश के भू-अधिग्रहण कानून में हुए संशोधन के बाद मिलने वाले मुआवज़े की राशि उन्हें दे दी जाए। मेरी यह भी निवेदन है कि इस विषय में शीघ्रता से एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनके विस्थापन की समस्या को दूर किया जाए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Riti Pathak.